Gen. No. 13

सीगा **धारा 6ए** आवश्यक वस्तु अधिनियम **प्रकरण संख्या 63/2019** (RCMS 2019/00110) अनवान् **सरकार** बनाम 1. **फर्म कामरा जनरल स्टोर, घड़साना** **2. जुगल किशोर** पुत्र सरदारीलाल जाति अरोड़ा निवासी घडसाना जिला श्रीगंगानगर (फर्म मालिक) **3. सुरेश कुमार** पुत्र अवतार सिंह जाति अरोडा निवासी सुंदर कॉलोनी, घड़साना

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री संदीप गौड़ उपस्थित है। अप्रार्थी अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि दिनांक 20.03.2019 को जांच हेतु फर्म कामरा जनरल स्टोर, नई मण्डी घड़साना पर पहुंचा तो पाया कि तीन मंजिला दुकान एवं एक अण्डर ग्राउण्ड दुकान है। अण्डरग्राउण्ड दुकान में एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस रिफिल करते समय आग पकड़ने से विस्फोट हो गया जिससे तीन मंजिला दुकान क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ग्यारह व्यक्ति घायल हो गये। जांच के दौरान सूचना मिलने पर फर्म कामरा जनरल स्टोर के पास ही स्थित हरप्रीत डीजे साउण्ड शास्त्री चौक, मैन बाजार, घडसाना पर पहुंचे तो वहां चार घरेलू गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल कम्पनी), दो छोटे सिलेण्डर (यूनिक कम्पनी), एक छोटा सिलेण्डर (परफेक्ट ज्योति कम्पनी), चार छोटे सिलेण्डर (बजाज कम्पनी), एक रेग्यूलेटर (इण्डेन कम्पनी), चार छोटे रेग्यूलेटर (मैक्स कम्पनी), तीन छोटे रेग्यूलेटर (पोलो कम्पनी), तीन रेग्यूलेटर युक्त एक रिफिलिंग यंत्र (जुगाड़) मय पाईप तथा 22.9 किलो ग्राम गैस अवैध तरीके से भण्डारण एवं बेचान तथा रेग्यूलेटरों का अवैध भण्डारण एवं बेचान करके Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and distribution) Order 2000 की धारा 4 (ए)(बी)(ई), 6, 7 (1), (ए)(सी) की उल्लंघना करने के कारण जब्त किये गये थे। इसलिए उक्त जब्त शुदा चार घरेलू गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल कम्पनी), दो छोटे सिलेण्डर (यूनिक कम्पनी), एक छोटा सिलेण्डर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

(परफेक्ट ज्योति कम्पनी), चार छोटे सिलेण्डर (बजाज कम्पनी), एक रेग्यूलेटर (इण्डेन कम्पनी), चार छोटे रेग्यूलेटर (मैक्स कम्पनी), तीन छोटे रेग्यूलेटर (पोलो कम्पनी), तीन रेग्यूलेटर युक्त एक रिफिलिंग यंत्र (जुगाड़) मय पाईप तथा 22.9 किलो ग्राम गैस धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात करने योग्य है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.03.2019 को फर्म कामरा जनरल स्टोर, नई मण्डी घड़साना पर पहुंचे तो पाया कि तीन मंजिला दुकान एवं एक अण्डर ग्राउण्ड दुकान है। अण्डरग्राउण्ड दुकान में एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस रिफिल करते समय आग पकड़ने से विस्फोट हो गया जिससे तीन मंजिला दुकान क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ग्यारह व्यक्ति घायल हो गये। जांच के दौरान सूचना मिलने पर फर्म कामरा जनरल स्टोर के पास ही स्थित हरप्रीत डीजे साउण्ड शास्त्री चौक, मैन बाजार, घडसाना पर पहुंचे तो वहां चार घरेलू गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल कम्पनी), दो छोटे सिलेण्डर (यूनिक कम्पनी), एक छोटा सिलेण्डर (परफेक्ट ज्योति कम्पनी), चार छोटे सिलेण्डर (बजाज कम्पनी), एक रेग्यूलेटर (इण्डेन कम्पनी), चार छोटे रेग्यूलेटर (मैक्स कम्पनी), तीन छोटे रेग्यूलेटर (पोलो कम्पनी), तीन रेग्यूलेटर युक्त एक रिफिलिंग यंत्र (जुगाड़) मय पाईप तथा 22.9 किलो ग्राम गैस प्राप्त हुए है। सामान के बारे में पूछताछ करने पर श्री सुरेश कुमार पुत्र अवतार सिंह ने बताया की फर्म कामरा जनरल स्टोर के कार्मिक उक्त समस्त सामान जल्दबाजी में यहां रखकर चले गये है। फर्म कामरा जनरल स्टोर, घड़साना एवं इसके मालिक जुगल किशोर पुत्र सरदारी लाल एवं उसके कार्मिकों द्वारा बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग एवं छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर अवैध तरीके से भण्डारण एवं बेचान तथा रेग्यूलेटरों का अवैध भण्डारण तथा बेचान करके Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and distribution) Order 2000 की धारा 4 (ए)(बी)(ई), 6,

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

7 (1), (ए)(सी) की उल्लंघना करने के कारण जब्त किये गये चार घरेलू गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल कम्पनी), दो छोटे सिलेण्डर (यूनिक कम्पनी), एक छोटा सिलेण्डर (परफेक्ट ज्योति कम्पनी), चार छोटे सिलेण्डर (बजाज कम्पनी), एक रेग्यूलेटर (इण्डेन कम्पनी), चार छोटे रेग्यूलेटर (मैक्स कम्पनी), तीन छोटे रेग्यूलेटर (पोलो कम्पनी), तीन रेग्यूलेटर युक्त एक रिफिलिंग यंत्र (जुगाड़) मय पाईप तथा 22.9 किलो ग्राम गैस को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 के अनुसार वैद्य अनुज्ञापत्र/दस्तावेज होने का भार अप्रार्थीगण पर है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 निम्न प्रकार से है** :

धारा 14 : <u>कतिपय मामलों में सबूत का भार :</u>
जहां कोई व्यक्ति धारा 2 के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है तो उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिबद्ध करता है वहाँ यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है, उसी का होगा।

अप्रार्थीगण फर्म कामरा जनरल स्टोर, जुगल किशोर एवं एवं सुरेश कुमार को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 बी के तहत नोटिस जारी किये गये थे। अप्रार्थीगण को उक्त जारी नोटिस ''लेने से इंकार'' की रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुए, इंकार की रिपोर्ट उनकी पुश्त पर अंकित है। अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और न ही भण्डारण तथा बेचान

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई वैद्य अनुमति पत्र/अनुज्ञा पत्र/दस्तावेज पेश किया गया है। इसलिए उक्त जब्तशुदा चार घरेलू गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल कम्पनी), दो छोटे सिलेण्डर (यूनिक कम्पनी), एक छोटा सिलेण्डर (परफेक्ट ज्योति कम्पनी), चार छोटे सिलेण्डर (बजाज कम्पनी), एक रेग्यूलेटर (इण्डेन कम्पनी), चार छोटे रेग्यूलेटर (मैक्स कम्पनी), तीन छोटे रेग्यूलेटर (पोलो कम्पनी), तीन रेग्यूलेटर युक्त एक रिफिलिंग यंत्र (जुगाड़) मय पाईप तथा 22.9 किलो ग्राम गैस Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and distribution) Order 2000 की धारा 4 (ए)(बी)(ई), 6, 7 (1), (ए)(सी) की अवहेलना करेन के कारण राजसात करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण से **जब्तशुदा चार घरेलू गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल कम्पनी), दो छोटे सिलेण्डर (यूनिक कम्पनी), एक छोटा सिलेण्डर (परफेक्ट ज्योति कम्पनी), चार छोटे सिलेण्डर (बजाज कम्पनी), एक रेग्यूलेटर (इण्डेन कम्पनी), चार छोटे रेग्यूलेटर (मैक्स कम्पनी), तीन छोटे रेग्यूलेटर (पोलो कम्पनी), तीन रेग्यूलेटर युक्त एक रिफिलिंग यंत्र (जुगाड़) मय पाईप तथा 22.9 किलो ग्राम गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात** किये जाते है। इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 492 से उक्त जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री 22.9 किलोग्राम (गैस) के अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये जा चुके है **इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री 22.9 किलोग्राम (गैस) से प्राप्त राशि को स्थाई रूप राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवायें।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर